न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/79/2021	08–10–2021	23–08–2022

01– पप्पू पुत्र फूलचन्द जाति माली निवासी ग्राम हमीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

02– शिम्भू पुत्र चन्दर जाति माली निवासी ग्राम हमीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

03– मक्खन पुत्र चन्दर जाति माली निवासी ग्राम हमीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

04– रामनिवास पुत्र कैलाश जाति माली निवासी ग्राम हमीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

अपीलाण्टस

बनाम

01– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 29.11.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 82/2019

उपस्थितः–

01–श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट

01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 29.11.2019 प्रकरण संख्या 82/2019 जिसके द्वारा सम्वत 2076 में अपीलान्ट को ग्राम हमीरपुर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 1870 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन मकान में से 12 गुणा 8 फुट भूमि पर पक्का निर्माण, आराजी खसरा न 1874 रकबा 0.35 है0 किस्म चाही प्रथम में से रकबा 0.35 है0 में जोत, आराजी खसरा न0 1869 रकबा 0.03 है0 किस्म चाही प्रथम में से रकबा 0.03 है0 में जोत, आराजी खसरा न0 1868 रकबा 0.03 किस्म चाही प्रथम में से रकबा 0.03 है0 में जोत, लगाकर अवैध कब्जा किये जाने पर की गई बेदखली/पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 1870 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन मकान में से रकबा 12 गुणा 8 वर्गफीट, 1874 रकबा 0.35 है0 किस्म चाही प्रथम में से रकबा 0.35 है0, 1869 रकबा 0.03 है0 किस्म चाही प्रथम में से रकबा 0.03 है0 व 1868 रकबा 0.03 है0 किस्म चाही प्रथम में से रकबा 0.03 है0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

वाके ग्राम हमीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में पटवारी हल्का हमीरपुर द्वारा रिपोर्ट तहत अदालत के समक्ष पेश कर अपीलान्टस द्वारा उक्त आराजी पर जिन्स, पक्का निर्माण व जोत काश्त कर अतिक्रमण करना जाहिर किया गया है। जिस पर अपीलान्टस को तहत अदालत के द्वारा प्रकरण संख्या 82/2019 दर्ज कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्टस ने तहत अदालत के समक्ष जवाब नोटिस पेश कर अपने कथन की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये लेकिन तहत अदालत द्वारा कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनाक 29.11.2019 पारित कर दिया गया जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील बिना किसी देरी के पेश की गयी है। अपील में वर्णित आराजीयात पर हम अपीलान्टस का कोई अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा नही किया गया है। उक्त आराजी पर हम अपीलान्टस व उनके पूर्वजो की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसके साबिक राजस्व रिकार्ड में हम अपीलान्टस व उनके पूर्वजो के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है, उक्त आराजी पर हम अपीलान्टस अपने पूर्वजो के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही काबिज चले आ रहे है। जिसमें हम अपीलान्टस ने अपने रिहायशी कच्चे व पक्के मकानात बनाये हुये है, तथा बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, उक्त आराजी को हम अपीलान्टस व उनके पूर्वजो ने काफी लागत एंव जिस्मानी मेहनत करके काबिल काश्त व रिहायशी बनाया गया है उक्त आराजी से हम अपीलान्टस व उनके पूर्वजो को कभी विधिक प्रकिया एंव प्रावधानो के अनुसार बेदखल नही किया गया है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई जॉच किये अपीलान्टस के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की है, जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जॉच किए अपीलान्टस के खिलाफ नोटिस जारी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन मकान व चाही प्रथम दर्ज है, जिस पर हम अपीलान्टस का पुराना कब्जा चला आ रहा है। तथा हम अपीलान्टस व उनके पूर्वज साबिक राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार काश्तकार रहे है। आराजी के राजस्व रिकार्ड बन्दोबस्त व उसके बाद में आराजी को मन्दिर माफी गोपालजी महाराज व नृसिंह के नाम कर्मचारियान बन्दोबस्त /राजस्व ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका साबिक रिकार्ड में दर्ज अंकन के विपरित अंकन किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार बिना किसी सक्षम अदालत की डिकी अथवा बिना किसी आदेश के साबिक राजस्व रिकार्ड के अंकन को बदल कर नवीन अंकन करने का नैतिक एंव विधिक अधिकार नही है। वकील अपीलान्टस द्वारा सूची दस्तावेज के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 142/10.09.2021 धारा अन्तर्गत 88,89,188 बअनुवान कैलाश वगै0 बनाम माफी मन्दिर गोपाल जी महाराज वगै0 की छाया प्रति/आदेशिका की छाया प्रति पेश की गयी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 29.11.2019 को निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 1870 किस्म गै0 मुमकिन मकान व आराजी खसरा न0 1874,1869,1868 किस्म चाही प्रथम राजकीय भूमि है। जिसमे पक्का निर्माण व जौत लगाकर अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने व पैनल्टी लायम की गई है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजीयात पर हम अपीलान्टस का कोई अतिक्रमण/नाजायज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

कब्जा नही किया गया है। उक्त आराजी पर हम अपीलान्टस व उनके पूर्वजो की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसके साबिक राजस्व रिकार्ड में हम अपीलान्टस व उनके पूर्वजो के नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है, उक्त आराजी पर हम अपीलान्टस अपने पूर्वजो के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही काबिज चले आ रहे है। जिसमें हम अपीलान्टस ने अपने रिहायशी कच्चे व पक्के मकानात बनाये हुये है, तथा बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, उक्त आराजी को हम अपीलान्टस व उनके पूर्वजो ने काफी लागत एंव जिस्मानी मेहनत करके काबिल काश्त व रिहायशी बनाया गया है, उक्त आराजी से हम अपीलान्टस व उनके पूर्वजो को कभी विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के अनुसार बेदखल नही किया गया है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई जॉच किये अपीलान्टस के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की है, जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जॉच किए अपीलान्टस के खिलाफ अपीलाधीन आदेंश पारित किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन मकान व चाही प्रथम दर्ज है, जिस पर हम अपीलान्टस का पुराना कब्जा चला आ रहा है। तथा हम अपीलान्टस व उनके पूर्वज साबिक राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार काश्तकार रहे है। आराजी के राजस्व रिकार्ड बन्दोबस्त व उसके बाद में आराजी को मन्दिर माफी गोपालजी महाराज व नृसिंह के नाम कर्मचारियान बन्दोबस्त/राजस्व ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका साबिक रिकार्ड में दर्ज अंकन के विपरित अंकन किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार बिना किसी सक्षम अदालत की डिक्री अथवा बिना किसी आदेश के साबिक राजस्व रिकार्ड के अंकन को बदल कर नवीन अंकन करने का नैतिक एंव विधिक अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का हमीरपुर तहसील बानसूर द्वारा दिनांक 22.10.2019 को सम्वत 2076 में आराजी खसरा न0 1870 रकबा 0.05 किस्म गै0 मु0 मकान की भूमि में से 12 गुणा 8 फुट भूमि पर पक्का निर्माण व आराजी खसरा न0 1874 रकबा 0.35, 1869 रकबा 0.03, 1868 रकबा 0.03 किस्म चाही प्रथम में जोत लगाकर अवैध कब्जा करने पर पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब दिनाक 29.11.2019 पेश किया गया जिसमें अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये स्वयं अतिक्रमी द्वारा अपना अतिक्रमण स्वीकार किया गया है। तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिसम्मत दिनाक 29.11.2019 को निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय की पालना में मुताबिक मौका पर्चा दिनाक 31.12.2019 को ग्राम हमीरपुर के आराजी खसरा न0 1870, 1874, 1869, 1868 मन्दिर माफी की भूमि पर से जे.सी.बी. द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का किसी को कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.11.2019 यथावतः रखा जाता है, निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)